सं.1/1/2010-ए.पी.ए.आर./244-भारत सरकार केन्द्रीय जल आयोग ए.पी.ए.आर. अनुभाग

> कमरा नं0.312 सेवा भवन रामकृष्ण पुरम् नई दिल्ली–66 दिनांकः 22 फरवरी, 2016

कार्यालय ज्ञापन

विषय:-

वर्ष 2010-2011 की वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्टों को समय पर पूरा करना ।

केन्द्रीय जल आयोग के अराजपत्रित तकनीकी और गैर—तकनीकी कर्मचारियों के संबंध में वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्टों को समय पर पूरा करने संबंधी उपायों के संबंध में समय—समय पर परिपत्र जारी किये जाते रहे हैं और अंतिम कार्यालय ज्ञापन 10 मार्च, 2010 को जारी किया गया था । नीचे दिये गये कार्यक्रम के अनुसार कर्मचारियों की वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्टें निश्चित रूप से 31 जुलाई, 2011 तक पूरा किया जाना अपेक्षित है।

क्र.सं.	क्रियाकलाप	िया विकि वस प्राप्त विकास वारा है।
		जिस तिथि तक पूरा किया जाना है।
1	सभी संबंधित को रिक्त ए.पी.ए.आर. फार्म का वितरण (अर्थात	
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	जहां स्वमूल्यांकन किया जाना है, वहां रिपोर्टगत अधिकारी को	भी किया जा सकता है)।
	एवं जहां स्व-मूल्यांकन नहीं दिया जाता है, वहां रिपोर्टिंग	
	अधिकारी को)।	
2.	रिपोर्टगत अधिकारी द्वारा रिपोर्टिंग अधिकारी को स्व-मूल्यांकन	15 अप्रैल, 2011
	प्रस्तुत करना (जहां लागू हो)।	
3	रिपोर्टिंग अधिकारी द्वारा पुनरीक्षा करने वाले अधिकारी को	30 जून, 2011
	रिपोर्ट प्रस्तुत करना।	
4	पुनरीक्षा करने वाले अधिकारी द्वारा रिपोर्ट पूरा करके प्रशासनिक	31 जुलाई, 2011
	अथवा ए.पी.ए.आर. अनुभाग / प्रकोष्ठ अथवा रिपोर्ट स्वीकारकर्ता	
	अधिकारी जहां भी उपलब्ध हो, को प्रेषित किया जाना।	
5 -	स्वीकारकर्ता प्राधिकारी, जहां भी उपलब्ध हो, द्वारा मूल्यांकन।	31 अगस्त, 2011
6	(क) जहां कोई स्वीकारकर्ता प्राधिकारी नहीं है, वहां रिपोर्टिंग	01 सितंबर, 2011
	अधिकारी को रिपोर्ट का प्रकटीकरण	
	(ख) जहां स्वीकारकर्ता है, वहां अधिकारी को रिपोर्ट का	15 सिंतबर, 2011
	प्रकटीकरण	
7	ए.पी.ए.आर. संबंधी किसी अभ्यावेदन की प्राप्ति यदि कोई हो।	सूचना प्राप्त होने की तिथि से 15
,	y heyeng than the street of th	दिनों तक
8	अभ्यावेदन को सक्षम अधिकारी को अग्रेषित करना	1 3 11 S1 P
,	(क) जहां ए.पी.ए.आर. हेतु कोई स्वीकारकर्ता प्राधिकारी नहीं है	21 सितंबर, 2011
	(ख) जहां ए.पी.ए.आर. हेतु कोई स्वीकारकर्ता प्राधिकारी है	०६ अक्तूबर, २०११
9	सक्षम प्राधिकारी द्वारा अभ्यावेदन का निपटान	अभ्यावेदन प्राप्त होने की तिथि के
J	राजुन आविष्यारा द्वारा जन्यावर्ग या निष्या	एक माह के भीतर
40		AND DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PROPERT
10	ए.पी.ए.आर. प्रकोष्ठ द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन पर सक्षम प्राधिकारी	15 नवंबर, 2011
and the same of th	का निर्णय सूचित करना।	

समग्र ए.पी.ए.आर. प्रक्रिया की समाप्ति, जिसके बाद ए.पी.ए.आर. 30 नवंबर, 2011 को अंतिम रूप से रिकार्ड किया जाएगा।

- सभी संबंधित कर्मचारियों द्वारा इस कार्यक्रम का कड़ाई से अनुपालन किया जाना चाहिए। इस संबंध में जिनकी रिपोर्ट लिखी जानी है / रिपोर्टिंग अधिकारी / पुनरीक्षण अधिकारी की तरफ से किसी प्रकार की चूक को गंभीरता से लिया जाएगा।
- आयोग (मुख्यालय) में स्थापना अनुभाग, मुख्यालय के संबंधित अधिकारियों तथा क्षेत्रीय कार्यालयों के मुख्य अभियंताओं / परिमंडल / मंडल कार्यालयों को भी कोरे कार्य निष्पादन मुल्यांकन रिपोर्ट प्रपत्र समय से भेजें। क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्य करने वाले कर्मचारियों के वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट के प्रपन्न के भाग-1 को उन कार्यालयों द्वारा भरा जाएगा, जहां कि क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा संबंधित कर्मचारियों की वैयक्तिक फाइल एवं सेवा पुस्तिका का रख-रखाव किया जा रहा है । जहाँ तक आयोग (मुख्यालय) में कार्य करने वाले कर्मचारियों का संबंध है, संबंधित स्थापना अनुभाग संबंधित कर्मचारियों को रिपोर्ट भेजने से पहले वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट प्रपत्र के भाग-1 को पूरा कर लेंगे । चूँकि जल संसाधन मंत्रालय को वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्टों की स्थिति रिपोर्ट 31 जुलाई, 2011 तक भेजी जानी है, अतः सभी संबंधितों से अनुरोध है कि वे समय पर कार्रवाई करें और कार्यक्रम के अनुसार वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्टों को पूरों करें । अभिलेख के लिए केन्द्रीय जल आयोग (मुख्यालय) को पूर्ण वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्टें भेजते समय, वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्टों के (पूरा/लंबित) होने के संबंध में विस्तृत सूचना भी संलग्न प्रपत्र में 27 जुलाई, 2011 तक भेजें ।
- अनुरोध है कि वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्टी में की गई प्रविष्टियों के विरूद्ध अभ्यावेदन देने का अवसर प्रदान करते हुए संबंधित अधिकारियों को वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट की प्रति प्रदान करने की कृपा करें तथा केन्द्रीय जल आयोग को इस आशय का प्रमाण पत्र भेजें कि संबंधित अधिकारी को वार्षिक कार्ये निष्पादन के विषय वस्तू से अवगत करा दिया गया है।
- सभी रिपोर्टिंग अधिकारी / पुनरीक्षण अधिकारी से अनुरोध है कि कार्मिक एवं लोक प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या -21011/1/2005-स्था..(ए) (भाग. ।।) दिनांक 14.5.2009 एवं 23.7.2009 के अनुलग्नक में दिए गए निर्देशों का कडाई से अनुपालन करें।

संलग्नक : यंथोक्त

दरभाष: 26100763

प्रतिलिपि:

सभी मुख्य अभियंता, केन्द्रीय जल आयोग (मुख्यालय) एवं क्षेत्रीय कार्यालय ।

सभी निदेशक / अधीक्षण अभियंता, केन्द्रीय जल आयोग ।

सचिव, केन्द्रीय जल आयोग, सेवा भवन, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली ।

कम्श:.....3/--

सचिव, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, सेवा भवन, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली । 4 सभी अवर सचिव / अनुभाग अधिकारी, केन्द्रीय जल आयोग, सेवा भवन, नई दिल्ली । सभी उपनिदेशक, केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली । 6 सभी अधिशासी अभियंता, केन्द्रीय जल आयोग, क्षेत्रीय कार्यालय । 7 लेखा अधिकारी / भुगतान एवं लेखा अधिकारी, केन्द्रीय जल आयोग, सेवा भवन, नई दिल्ली । 8 निदेशक, केन्द्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधानशाला, पुराना पाल्मे रोड, हौज खास, नई दिल्ली । अवर सचिव(प्रशासन), जल संसाधन मंत्रालय, श्रमशक्ति भवन, चौथा तल, रफी मार्ग, नई दिल्ली। 10 निदेशक, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, तीसरा तल, सिंचाई भवन, पटना । 11 मुख्य अभियंता (मा.सं.प्र.) के निजी सचिव, केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली । 12 सदस्य (नदी प्रबंध) के प्रधान निजी सचिव, केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली । 13

14 सदस्य (जल आयोजन एवं परियोजना) के प्रधान निजी सचिव, केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली।

15 सदस्य (अभिकल्प एवं अनुसंधान) के प्रधान निजी सचिव, केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली ।

प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस संगठन में कार्य कर रहे सभी अधिकारियों / कर्मचारियों की वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्टें 27 जुलाई, 2011 तक पूरी कर ली गई है ।

*2. वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्टों की स्थिति रिपोर्ट निम्नानुसार है :--

कर्मचारियों की कुल उन कर्मच संख्या और उनके जिनकी व नाम एवं पदनाम मूल्यांकन

उन कर्मचारियों की संख्या एवं नाम जिनकी वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्टें पूरी कर ली गई हैं उन कर्मचारियों की संख्या एवं नाम जिनकी वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्टें लंबित हैं

*यदि उपर्युक्त पैरा 2 लागू न होता हो तो उसे काट दें ।

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

तारीख

No. 1/1/2010-APAR 244
Government of India
Central Water Commission
APAR Section

Room No. 312(S), Sewa Bhawan R.K. Puran, New Delhi-110066 Dated: **22** February, 2011

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Timely completion of Annual Performance Appraisal Reports for the year 2010-11.

Circulars regarding the measures to be taken for the timely completion of Annual Performance Appraisal Reports in respect of non-gazetted Technical and Non-Technical Staff of the Central Water Commission are being issued from time to time and the last O.M. was issued on 10.3.2010. The Annual Performance Appraisal Reports of the officials are required to be completed by 31.7.2011 positively as per the schedule given below:-

	Fulface (III) 1. (III) 1	The second secon
	Distribution of blank C.R. Forms to all concerned (i.e.	31 st March, 2011.
	to officer to be reported upon where self-appraisal has	(This may be completed even a
	to be given and to reporting officers where self	week earlier)
	appraisal is not to be given)	
2	Submission of self-appraisal to reporting officer by	15 th April, 2011
	officer to be reported upon (where applicable)	
3	Submission of report by reporting officer to reviewing	30 th June, 2011
	officer.	
4	Report to be completed by Reviewing Officer and to	31 st July, 2011
	be sent to Administration or APAR Section/Cell or	
	accepting authority, whichever provided.	
5	Appraisal by accepting authority, whichever provided	^{-31st} August, 2011
6	(a) Disclosed to the officer reported upon where	1st September, 2011
	there is no accepting authority.	
	(b) Disclosed to the officer reported upon where	15 th September, 2011
	there is accepting authority.	
7	Receipt of representation, if any, on APAR	15 days from the date of receipt
	receipt of representation, it any, on the	of communication.
8	Forwarding of representation to the competent	O' COMMITTALINE CONTROL OF THE CONTR
	authority.	
	(a) Where there is no accepting authority for APAR	21st September, 2011
	(b) Where there is accepting authority.	6 th October, 2011
9	Disposal of representation by the competent authority.	Within one month from the
7	Disposar of representation by the competent authority.	date of receipt of
5 (1		representation. 15 th November, 2011
10	Communication of the decision of the competent	15 Inovember, 2011
	authority by the APAR Cell.	

Find of entire APAR process, after which the APAR 30th November, 2011 will be finally taken on record.

- 2. This time schedule should be strictly complied with by all concerned. Any failure on the part of the officer to be reported upon/Reporting Officer/Reviewing Officer in this regard should be viewed seriously.
- Establishment Sections in the Main Commission may please supply the blank APAR Forms to the concerned officials in the Main Commission and also to the Chief Engineers/Circles/Divisional offices in the field formation. In the case of officials working in the Field Offices, the PART-I of the APAR Forms will be filled by the office where the personal File & Service Book of the concerned officials are maintained by the field offices. As regards the officials working in the Main Commission /Headquarters, the concerned Establishment section will complete the PART-I of the APAR Form before sending to the concerned officials. As the status report of the APAR is to be sent to the M/o WR latest by 31.07.2011, all concerned are requested to take timely action and complete the APARs as per schedule. While sending the complete APARs to the Central Water Commission (HQRS), for record, the detailed information in respect of the APARs (complete/pending) may also be furnished, in the enclosed proforma by 28.5.2011.
- 4. You are also requested to provide the copy of APAR to individual concerned for giving opportunity to make any representation against the entries made in APAR and send a certificate to this Commission to this effect "that the contents of the APAR have been disclosed to the officer concerned".
- 5. All the Reporting / Reviewing Officer are requested to adhere the instructions while writing the Annual Performance Appraisal Report as per M/o DOP&T office Memorandum No. 21011/01/2005- Estt.(A)(Pt. dated 14.5.2009 and 23.7.2009.
- 6. Hindi version will follow.

(Som Prakash) Under Secretary Ph: 26100763

Encl:- As above

Copy to:-

- 1. All Chief Engineers, CWC (Headquarters) and field offices.
- 2. All Directors/Superintending Engineers, CWC.
- 3. The Secretary, CWC, Sewa Bhawan, R.K. Puram, New Delhi
- 4. The Secretary, CEA, Sewa Bhawan, R.K. Puram, New Delhi

Contd...3/-

- 5. All Under Secretaries/Section Officer, CWC, R.K.Puram, New Delhi
- 6. All Deputy Directors, CWC, New Delhi.
- 7. All Executive Engineers, CWC, Field formations.
- 8. Accounts Officer/Pay and Accounts Officer ,CWC, 7th Floor, Sewa Bhawan, R.K.Puram, New Delhi.
- 9. Director, CSMRS, old Palme Road, Hauz Khas, New Delhi.
- 10. The Under Secretary (Admn.), Ministry of Water Resources, Shram Shakti Bhawan, 4th Floor, Rafi Marg, New Delhi.
- 11. Director, Ganga Flood Control Commission, 3rd Floor, Sinchai Bhawan, Patna.
- 12. P.S. to Chief Engineer (HRM), CWC, New Delhi
- 13. P.P.S. to Member (R.M.), CWC, New Delhi.
- 14. P.P.S. to Member (WP&P), CWC, New Delhi
- 15. P.P.S. to Member (D&R), CWC, New Delhi.

CERTIFICATE

This is to certify the Officers/Employees work 2011				
*2 The status Report under:-	of Annual	Performance	Appraisal	Reports is/are as
Total No. of officials and their Name & Designation	No. & officials APARs completed	Name of whose are	No.& whose pending	

*Strike out para 2 above in case not applicable.

Signature	• • •		ž.	6 6	9		0	•	٠		ė	. ,	ě			•	•	a	9.0	e
Name	,																~.	*		
Designation	0 1 0	n 4	*		,	 	4				 				٠			· ·		
Date						 	4	•	,	,				. 11			-			